



पूर्व मध्य रेल
(लेखा विभाग)

कार्यालय
प्रधान वित्त सलाहकार
हाजीपुर

कार्यालय आदेश संख्या:- अराज०/86 /2020

दिनांक: 24.12.2020

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त SO(A) ग्रुप में Appendix-3(IREM) परीक्षा उत्तीर्ण निम्नलिखित कर्मचारियों को अनंतिम रूप से वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा), ग्रेड वेतन रु० 4800/- (Level-8) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करते हुए पदोन्नति के उपरांत उन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापना के आदेश जारी किए जाते हैं:-

Sl. No.	Name (Shri)	Desig	Catg.	Office Working	Posting on promotion under
1	Lalbabu	JAA	SC	Sr. AFA/B&B/HJP	BGT Section under Sr.AFA/B&B/HJP

नोट:-

- कर्मचारी के द्वारा पदोन्नति अस्वीकार करने की स्थिति में उनका लिखित आवेदन एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से अग्रेषित किया जाए। ऐसे मामले में IREM Vol I के पैरा 224 के अनुसार उन्हें पदोन्नति हेतु अगले एक वर्ष तक वंचित माना जाएगा।
- पदोन्नत कर्मचारी वेतन निर्धारण हेतु कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अंदर अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में नियम 1313 (FR-22) IR-II के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जाएगा।
- उपर्युक्त पदोन्नति कार्यप्रभारित पदों एवं प्रतिनियुक्ति अथवा पूमरे संवर्ग से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के कारण उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध है। अतः कार्यप्रभारित पदों के संचालन में कमी आने या प्रतिनियुक्ति या पूमरे संवर्ग से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के पूमरे में वापस आने पर रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आवश्यकतानुसार निम्नतम वरीयता पर पदोन्नत कर्मचारी को पदावनत किया जा सकता है।
- पदोन्नति का लाभ प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन/डी.ए.आर. का केस न चल रहा हो।
- पदस्थापना/कार्यमुक्त प्राधिकार से इस कार्यालय को तत्काल सूचित किया जाए।
- यह पदोन्नति आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP(C)30621/2011 एवं SLP(C) 31288/2017 में पारित किए जाने वाले आदेश के आलोक में परिवर्तनीय होगा।

[Authority: Note# 16 of E file no. ECR-HQ0ACCT(ADMN)/9/2020(Computer No. 3099) & Note# 155 of file no. ECR-HQ0ACCT(ADMN)/124/2020(Computer No. 13527)]

(अरविन्द कुमार सिन्हा)

वसविस/प्रशा०

कृते प्रधान वित्त सलाहकार

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- सचिव/प्रविस: प्रविस महोदय के सूचनार्थ।
- विसमुलेधि(सा.)/हाजीपुर।
- उप विसमुलेधि(वित्त एवं बजट)/हाजीपुर।
- उप विसमुलेधि(सा.)/हाजीपुर।
- वसविस/सविस, स्थापना(अराज०/राज०), (खात एवं बजट)।
- सचिव/ईसीआरकेयू/एससीएसटी एवं ओबीसी एशोसिएशन।
- संबंधित कर्मचारी।
- कार्यालय आदेश पंजिका।
- सूचना पटल।

कृते प्रधान वित्त सलाहकार



East Central Railway
(Accounts Department)

Office of the
Principal Financial Adviser
Hajipur

O.O.No.:- NG/87 of 2020

Dated: 24.12.2020

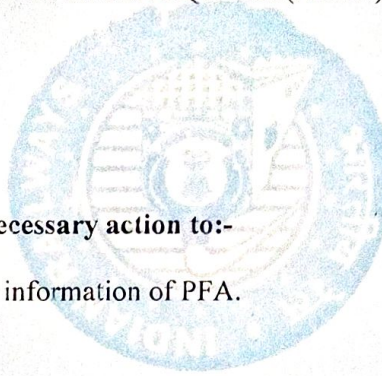
With the approval of competent authority, following transfer and posting order is issued with immediate effect:-

Sl. No.	Name (Shri/Smt.)	Desig.	Present Posting	Transferred and posted under
1	Dhananjay Kumar Singh	JAA	Sr. DFM/DHN	Sr.DFM/DNR

Note: -

1. The above transfer order is being done on 'own request' basis.

[Authority: Note# 155 of file no. ECR-HQ0ACCT(ADMN)/124/2020(Computer No. 13527)]



Arvind
24.12.2020
(Arvind Kumar Sinha)
Sr.AFA/Admn

For Principal Financial Adviser

Copy: For information and necessary action to:-

1. Secy. to PFA: For kind information of PFA.
2. FA&CAO(G & T)/HJP
3. Dy. FA&CAO(G)/HJP
4. Sr. DFM/DNR & DHN
5. Staff concerned.
6. Secretary/ECRKU.
7. Notice Board.

Arvind
24.12.2020
For Principal Financial Adviser